

विभाग का नाम :-खाद्य संरक्षा विभाग,

विभाग का पता :- आठवां तल, मयुर भवन, क्लॉट प्लेस, नई दिल्ली. 110001

अतारांकित प्रश्न संख्या :- 167-अतारांकित

दिनांक:- 08-06-2018

प्रश्नकर्ता का नाम :-सुश्री भावना गौड़

क्या स्वास्थ्य मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि :-

	प्रश्न	उत्तर												
क	क्या यह सत्य है कि पालम विधानसभा में बहुत तेजी से फास्टफूड की दुकानें खुल रही हैं,	विभाग द्वारा पूरे दिल्ली क्षेत्र को 11 राजस्व डिस्ट्रिक्ट में बाँटा गया है और पालम विधानसभा का क्षेत्र दक्षिण-पश्चिम जिला में है। प्रत्येक दिन औसतन 6-7 पंजीकरण/ लाईसेंस के आवेदन दक्षिण-पश्चिम जिले से आते हैं।												
ख	क्या इन दुकानों को संबंधित विभाग द्वारा लाईसेंस दिया जा रहा है,	जो दुकानदार खाद्य संरक्षा पंजीकरण/ लाईसेंस के लिए ऑन-लाईन आवेदन करता है, उसे विभाग द्वारा पंजीकरण/ लाईसेंस प्रदान किया जाता है।												
ग	पालम विधानसभा के प्रत्येक वार्ड में कितनी फास्टफूड, डेयरी, प्रोडक्ट्स, रेस्टोरेंट आदि चल रहे हैं, वार्ड वार्ड ब्यौरा दें,	विभाग द्वारा पूरे दिल्ली क्षेत्र को 11 राजस्व डिस्ट्रिक्ट में बाँटा गया है और पालम विधानसभा का क्षेत्र दक्षिण-पश्चिम जिला में है, खाद्य विक्रेताओं को विभाग द्वारा तहसील/ जिला स्तर पर पंजीकरण/ लाईसेंस प्रदान किया जाता है। लाईसेंस/ पंजीकरण का वर्गीकरण प्रश्नानुसार नहीं किया जाता है। दक्षिण-पश्चिम जिला में विभाग द्वारा जारी किए गए कुल पंजीकरण/ लाईसेंस की संख्या निम्न प्रकार है- जिला-दक्षिण-पश्चिम-												
		<table border="1"><thead><tr><th>तहसील</th><th>लाईसेंस</th><th>पंजीकरण</th></tr></thead><tbody><tr><td>द्वारका</td><td>1271</td><td>3195</td></tr><tr><td>कापसहेड़ा</td><td>232</td><td>310</td></tr><tr><td>नजफगढ़</td><td>372</td><td>1177</td></tr></tbody></table>	तहसील	लाईसेंस	पंजीकरण	द्वारका	1271	3195	कापसहेड़ा	232	310	नजफगढ़	372	1177
तहसील	लाईसेंस	पंजीकरण												
द्वारका	1271	3195												
कापसहेड़ा	232	310												
नजफगढ़	372	1177												
घ	बिना लाईसेंस के अनाधिकृत रूप से चल रही दुकानों के विरुद्ध विभाग द्वारा क्या कोई कार्रवाई की गई है,	जी हाँ, बिना लाईसेंस के अनाधिकृत रूप से चल रही दुकानों को विभाग द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं।												
ङ	यदि हाँ, तो ब्यौरा दें,	अभी तक उपर्युक्त क्षेत्र में कुल 10 दुकानदारों का कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं।												
च	यदि नहीं तो कारण बताएँ ?	उपरोक्त के अनुसार लागू नहीं है।												